न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा, (म०प्र०)

689 / 30.9.14

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES 20

Rs-201-

R-3760-III/14

देवदत्त द्विवेदी आत्मज श्री रामसजीवन द्विवेदी ग्राम–खैरी, तहसील–हुजूर, जिला–रीवा म०प्र०

——आवेदक

बनाम्

शासन म०प्र०

——— अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार साहब तहसील हुजूर, जिला रीवा म०प्र० बावत् प्रकरण कमांक–128/बी121/91–92 आदेश दिनांक 28–07–14 अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू–राजस्व 1959 ई0

श्री देवदत्त द्विवेदी एड० के द्वारा आज दिनांक 30-9-14 प्रस्तुत किया गया

क्रमांक 3440 अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 29-10-14 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः-

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य मुख्य रूप से निम्न हैः-

1– यह कि ग्राम–खैरी की विवादित आराजियातों के संबंध में न्यायालय सहायक अभिलेख अधिकारी के यहां मृतक बैजनाथ प्रसाद ने प्रार्थी देवदत्त द्विवेदी के बाबा और दादी मु0 समित्री रामप्रताप बहिस्सा बराबर पट्टेदार थे, जिसके विरुद्ध षड़यंत्र कर बिना किसी आदेश के कुछ नम्बरों में अपना नाम इन्द्राज करवा लिया था, जिसके विरुद्ध कलेक्टर महोदय के यहां शिकायत की गई जिस पर श्री मण्डलोई नायब तहसीलदार ने रिव्यु में लेकर पुनः कार्यवाही प्रारंभ की और उसी आदेश अर्थात् सहायक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3760–3/2014 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश देवदत्त द्विवेदी/ म0प्र0शासन	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–12–2015	प्रकरण में आवेदक देवदत्त द्विवेदी अधिवक्ता स्वयं उपस्थित। अनावेदक केविएट कर्ता की ओर से श्री शशांक शेखर पाण्डेय उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राहयता सहित व्यवहार प्रकिया संहिता की धार 9 एवं सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के आवेदन पर सुना गया। प्रकरण में उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण में मुख्य विवाद पक्षकार बनाए जाने से संबंधित है। तहसीलदार द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 28.7.14 से स्व. चन्द्रभान प्रसाद द्विवेदी के वारिसान शेषमणि द्विवेदी, रामनरेश द्विवेदी, रमेश द्विवेदी, एवं नरेन्द्र द्विवेदी पुत्रगण स्व.चन्द्रभान प्रसाद द्विवेदी को पक्षकार बनाने का आदेश दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने उक्त आक्षेपित आदेश में पक्षकार बनाए जाने का यह भी आधार लिया गया है कि उक्त आवेदकगण इस विवाद से संबंधित अन्य प्रकरणों में भी पक्षकार रहे हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में प्रकरण अभी तहसील न्यायालय में विचाराधीन है तथा उसमें अंतिम तौर पर अभी कोई भी ऐसा आदेश नहीं हुआ है जिससे किसी पक्षकार के वैधानिक हित अनुचित तौर पर प्रभावित हुए हों या होने संभावित हुए हों। उपरोक्त विवेचना के आधार पर व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 9 सहपठित धारा 32 म0प्र0भू–राजस्व संहिता का आवेदन सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 28.7.2014 सहज न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए बगैर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस हो। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा. रि. हो। सदस्य	